

छत्तीसगढ़ शासन
कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 9-5 / 2024 / तक.शि / 42
पति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/06/2024

संचालक,
तकनीकी शिक्षा संचालनालय,
इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर,
छत्तीसगढ़ ।

विषय:- सत्र 2024-25 में विनियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में।

संदर्भ :- आपका जावक टीप क्रमांक 379 दिनांक 12.02.2024

-----0-----

संदर्भित टीप का कृपया अवलोकन करें।

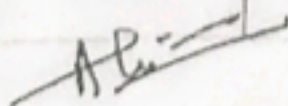
2/ उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित टीप के द्वारा प्रेषित प्रस्तावनुसार सत्र 2024-25 में विनियामक संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् फार्मसी काउंसिल ऑफ इंडिया में आवेदन करने हेतु निम्नानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की जाती है :-

NoC for Variation in intake in Existing courses (Pharmacy) 2024-25

S n	Name of College	Name of the Courses	Existing Intake	Applied Intake 2024-25	Programme	Remark
1	Chouksey College of Pharmacy, Bilaspur	B.Pharmacy	60	100	UG	

NoC Pharmacy Institutions 2024-25 - New Courses

Sn	Name of College	Name of the Courses	Applied Intake 2024-25	Programme	Remark
1.	Sanskar City College of Pharmacy, Thakurtola, Rajnandgaon	Pharmaceutics	15	PG	
		Pharmaceutical Chemistry	15	PG	
2.	Apex Institute of Pharmacy Education and Research, Raigarh	B.Pharmacy	100	UG	
3.	Hrishikesh College of Pharmaceutical & Research Institute Jagdalpur	B.Pharmacy	60	UG	



NoC for New Institute Academic Session 2024-25

Sn	Name of College	Name of the Courses	Applied Intake 2024-25	Programme	Remark
1.	Sonkar College of Pharmacy, Mungeli	B.Pharmacy	60	UG	
		D.Pharmacy	60	Dip.	
2.	Swami Vivekanand Institute of Pharmacy & Research, Sendri Bilaspur	B.Pharmacy	60	UG	
		D.Pharmacy	60	Dip.	
3.	Dipti Institute of Pharmacy, Surajpur	D.Pharmacy	60	Dip.	
4.	Chhitani Prasad Mitani Prasad Dubey College, Bilaspur	MBA	120	PG	

2/ उक्त संस्थाओं को सत्र 2024-25 के लिए फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निम्न मापदंडों को पूरा करने के शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है :-

1. संस्थाओं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, विश्वविद्यालय एवं राज्य शासन के विधि अनुकूल मापदंडों को पूरा करना होगा।
2. संस्थाओं को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली/फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अनुमोदन प्रस्तुत करना होगा।
3. छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई से संबद्धता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ पृथक से आवेदन प्रस्तुत करना होगा। संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है :-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

A. L. 27/06/2024

(राजीव अहिरे)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

०६

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/06/2024

क्रमांक एफ 9-5/2024/तक.शि/42

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/फार्मसी कॉउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली।
3. कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई, जिला-दुर्ग।
4. प्राचार्य, संबंधित निजी संस्थान
5. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

A. L. 27/06/2024

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन